न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 05/2025 विविध (भरण–पोषण)

GCMS No. 2025/172

1. खुर्शीद अहमद पिता स्व. पीर मोहम्मद निवासीः 200, खांजीपीर उत्तर, उदयपुर
2. श्रीमती जन्नत पत्नी श्री खुर्शीद अहमद निवासीः 200, खांजीपीर उत्तर, उदयपुर

——— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. रज्जाक अहमद पुत्र श्री खुर्शीद अहमद, निवासीः 200, खांजीपीर उत्तर, उदयपुर
2. श्रीमती शबाना पत्नी रज्जाक अहमद निवासीः 200, खांजीपीर उत्तर, उदयपुर

——— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर(राज.) प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025

उपस्थितः श्री खुर्शीद अहमद, अपीलाण्ट संख्या 1 स्वयं
श्री उम्मे सलमा मंसूरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण

निर्णय

दिनांकः– 24/03/2026

अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर निर्णय दिनांक 24.03.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टस् जो कि वरिष्ठ नागरिक होकर वर्णित पते पर निवासरत है, प्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्ध होकर उसके हृदय की बाईपास सर्जरी करा रखी है जिसका खर्च लगभग 3 लाख रुपये आया जो उसके अपने मिलने–जुलने वालों व रिश्तेदारों से उधार लेकर ऑपरेशन करवाया जिसमें रेस्पाडेंट संख्या 1 ने किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की न ही कोई देखभाल की, मजबूरीवश अपीलाण्टगण को अपनी शादीशुदा पुत्रियों को ससुराल से बुलाना पड़ा। अपीलाण्ट संख्या 2 जो कि शूगर की बीमारी से ग्रस्त

जिला कलक्टर
उदयपुर

होकर उसको आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता है, पूरी तरह अन्धी होकर जीवन यापन कर रही है। घर का खाना व कचरा–बर्तन भी अपीलाण्ट संख्या 2 को ही करना होता है, जिससे कई बार वह खाना बनाते समय नहीं दिखने के कारण कपड़ो मे आग लग जाती है जिससे अपीलाण्ट संख्या 1 जो कि स्वयं वृद्ध व बीमार है उसको हर समय अपीलाण्ट संख्या 2 के पास ही रहना पड़ता है एवं दोनों पति–पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है। केवल मात्र वृद्धावस्था पेंशन व तहखाने मे बने दोनों कमरों को 4 हजार रुपये में किराये देकर जो राशि आती है उसी पर आश्रित है जिससे उनका घर खर्च चलाना भी बडा मुश्किल हो रहा है। अपीलाण्टस् ने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को सही रूप से चलाया है तथा अपीलाण्टस् की पुत्रियों का विवाह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है तथा पुत्रियां कभी–कभार मिलने आती है तो कभी रेस्पोडेंटस् उनसे भी लडाई–झगड़ा करते है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 जो कि टाटा कम्पनी प्रा.लि. मादडी इण्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर में बड़ी गाड़ियों का अच्छा मेकेनिक है जहां से उसे प्रतिमाह 30,000/– रुपये की आय प्राप्त होती है तथा ओवरटाईम व अतिरिक्त छुट्टियों का पैसा अलग से प्राप्त होता है जिससे उसे 15,000/– रुपये की आय प्राप्त होती है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 जो अच्छी टेलरिंग का कार्य करती है जिससे उसे प्रतिमाह 15,000/– रुपये की आय प्राप्त होती है जिससे रेस्पोडेंटस् अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से चला रहे है जिसमें 1/– रुपये का भी वास्ता नहीं अपीलाण्टस् को किसी प्रकार का कोई खाना खर्चा, दवाई, ईलाज व कमरों का किराया नहीं देकर लाईट व नल बिल भी जमा नहीं कराते है जबकि रेस्पोडेंटस् अपने कमरों में सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग–उपभोग करते हुए अत्यधिक नल व लाईट बिल आते है फिर भी 1/– रुपये का भी बिल नहीं देते है, जिससे अपीलाण्टस् को लोगों से उधार लेकर बिल जमा करवाना पड़ता है। कई बार बिल राशि 6–7 हजार रुपये तक आती है जिसे जमा कराने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 1 को कहते है तो वह जमा नहीं कराता है, एवं अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाली–गलौच कर लडाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है। अपीलाण्टस् ने रेस्पोडेंटस् की हरकतों से परेशान होकर पुलिस थाना सूरजपोल में कार्यवाही की थी किन्तु समझा–बूझाकर भेज दिया गया, रेस्पोडेंटस् के कमरों में जाने का रास्ता अलग से बना हुआ है, फिर भी रेस्पोडेंटस् अपीलाण्टस् के कमरों में से प्रवेश करते हुए वहां पर आते जाते समय गंदगी व कचरा करते रहते है। ये लोग झाडू पोछा भी नहीं करते है। रेस्पोडेंटस् आये दिन सड़क पर आकर गाली–गलौच करते हुए लडाई–झगड़ा करते है एवं गृह क्लेश करने से बाहरी लोग तमाशबीन बनकर हंसी उडाते है एवं अपीलाण्टस् की इज्जत खराब करते है। अपीलाण्टस् के पास आय का कोई स्थायी जरिया नहीं है ओर न ही कोई आर्थिक सहायता देने वाला है किन्तु रेस्पोडेंटस् के पास कुल 45,000/– रुपये प्रतिमाह होने के पश्चात् भी अपीलाण्टस् को 1/– रुपया भी नहीं दिया जा रहा है इसलिए

जिला कलक्टर
उदयपुर

रेस्पोडेंटस् से अपीलाण्टस् को प्रतिमाह 15,000/– रुपये दिलाया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को मात्र 2,700/– रुपये ही भरण पोषण राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया जिसमें दो व्यक्तियों का गुजारा नहीं हो सकता है जो प्रकरण में गुणावगुण पर विचार न कर गलत आदेश पारित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में 2,700/– रुपयें दो वृद्ध, बीमार व्यक्तियों का खान–खर्चा, कपड़े–लत्ते, बीमारी एवं नल लाईट के बिलों का भुगतान ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विपक्षीगण के जवाब में ग्रोस सेलेरी स्लीप 19,900/– रुपये तथा नेट सेलेरी 17,900/– रुपये का अंकन किया गया है एवं विपक्षी संख्या 2 जो सिलाई का काम कर बड़ी मात्रा में रकम प्राप्त कर रही है उसका कही हवाला नहीं दिया गया है जबकि प्रार्थीगण/अपीलाण्टगण के पास ठोस रूप में केवल मात्र वृद्धावस्था पेंशन की कुल राशि 2,300/–रुपये के लगभग आती है एवं अपीलाण्टस् को अपने अन्य दैनिक कार्यो के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है जो कि वर्तमान समय में लगभग 15,000/– रुपये दो व्यक्तियों के लिए सही व सुचारू रूप से जीवन यापन के लिए चाहिये होते है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं कर कानूनी चूक की है, साथ ही गुणावगुण पर विचार न कर आदेश पारित किया गया है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश से अभी तक विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के पास आकर किसी प्रकार का कोई हाल–चाल नहीं पूछा है और न ही भरण–पोषण की कोई राशि चुकाई है, क्योंकि विपक्षीगण को कानून का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण ने पूर्व में भी विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सूरजपोल एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्यथा बताई थी किन्तु पुलिस द्वारा आपसी समझाईश की बात कर दी गई, रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं कर इतिश्री कर दी गई, वही कार्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है, क्योंकि जो राशि भरण–पोषण की 2,700/– रुपये दिया जाना यह द्योतक है कि केवल मात्र खानापूर्ति कर अपना कार्य कर दिया है जो कि घोर कानूनी भूल है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिलाई गई राशि 2,700/– रुपये में दो व्यक्तियों का गुजारा नहीं हो सकता है जिसे बढ़ाकर 15,000/– रुपये भरण पोषण व कल्याण के लिए अपीलाण्टस् को रेस्पोडेंटस् से दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे, ताकि दो व्यक्तियों का सही से गुजारा हो सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री उम्मे सलमा उपस्थित। जिनकी तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी बाईपास सर्जरी में

जिला कलक्टर
उदयपुर

3 लाख खर्च हुए, जो उधार लेकर कराए गए। अपीलार्थी संख्या 2 शुगर की बीमारी से ग्रसित है और पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी है। दोनों वृद्ध और बीमार हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। केवल वृद्धावस्था पेंशन 2,300/– रुपये और तहखाने के दो कमरों से 4,000/– रुपये किराया ही आय का एकमात्र स्त्रोत है। इस अल्प राशि में दवा, खाना, बिजली–पानी का बिल व अन्य घरेलू खर्च चलाना संभव नहीं है। रेस्पॉडेंट संख्या 1 एक बड़ी कंपनी में मैकेनिक है, जिससे 30,000/– रुपये मासिक आमदनी होती है। उसे ओवरटाइम व अतिरिक्त कार्य से 15,000/– रुपये अतिरिक्त आय होती है। रेस्पॉडेंट संख्या 2 सिलाई का कार्य करती है जिससे उसे 15,000/– रुपये मासिक आमदनी होती है। फिर भी दोनों रेस्पॉडेंट्स अपीलाण्टगण को कोई आर्थिक सहायता नहीं देते हैं। बिजली व नल का उपयोग तो करते हैं, पर बिल नहीं चुकाते जिससे अपीलार्थियों को कर्ज लेकर भुगतान करना पड़ता है। रेस्पॉडेंट्स आए दिन गाली–गलौच, झगड़ा और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। उनका रास्ता अलग होते हुए भी जानबूझकर अपीलार्थियों को परेशान करते हैं। गली में झगड़ा कर, अपमानजनक व्यवहार कर सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल 2,700/– रुपये प्रतिमाह की भरण–पोषण राशि निर्धारित की जो अत्यन्त कम है। यह राशि दो वृद्ध व बीमार व्यक्तियों के लिए नाकाफी है और वास्तविक जरूरतों की अनदेखी करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पॉडेंट्स की संपूर्ण आय और अपीलाण्टगण की दयनीय स्थिति का समुचित आकलन नहीं किया। रेस्पोडेंटस् ने अब तक उक्त आदेश की पालना में कोई भरण–पोषण राशि नहीं दी है। अपीलार्थीगण की चिकित्सा, दैनिक आवश्यकताओं व जीवन निर्वाह के लिए 15,000/– रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। रेस्पॉडेंट्स सक्षम होते हुए भी अपने दायित्वों से भाग रहे हैं, जो अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाए व 15,000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण राशि रेस्पॉडेंट्स से दिलाई जाए।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि रेस्पोडेंटगण, अपीलाण्टगण के साथ निवास कर रहे है एवं उनकी सेवा सुश्रुषा कर रहे है। अपीलाण्ट के खान–पान, रहन–सहन एवं दैनिक जीवन की सभी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति कर रहे है। जब अपीलाण्ट संख्या 1 की बाईपास सर्जरी हुई थी तब भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आर्थिक मदद की थी। अपीलाण्टगण छोटी–छोटी बातों को लेकर या कभी बिना बात के भी विपक्षीगण से झगडा करने पर आमादा रहते है। अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर रेस्पोडेंटस् को अपना दुश्मन समझ बैठे है एवं उनको घर से निकालने के लिए आमादा है। अपीलार्थीगण को करीब 3,000/– रूपये वृद्वावस्था पेंशन मिलती है एवं 2 कमरे किराये पर दे रखे है जिनसे 5,000/– रुपये किराया प्राप्त होता है तथा किराने की दुकान से 10,000/– मासिक आमदनी हो जाती है। इस प्रकार अपीलाण्टगण कुल 18,000/– रुपये प्रतिमाह प्राप्त करते

जिला कलक्टर
उदयपुर

है। रेस्पोडेंट संख्या 1 प्राईवेट कम्पनी में मेकेनिक का कार्य करता है जिससे उसको करीब 20,000/– रुपये मासिक सेलेरी मिलती है, जिससे वह अपनी गृहस्थी बमुश्किल चला पा रहा है। रेस्पोडेंटगण द्वारा ही नल व लाईट का बिल जमा कराया जाता है, अपीलाण्ट रेस्पोडेंट को अलग लाईट कनेक्शन भी नहीं लेने दे रहे है मात्र अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर रेस्पोडेंटस् को परेशान किया जा रहा हैं। रेस्पोडेंटस् अपीलाण्टगण का बहुत सम्मान करते है एवं आज भी उनके साथ रहने हेतु तत्पर है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयनुसार अपीलाण्टगण का आधारभूत जरूरतों रहना, खाना, दवाई आदि का भरण–पोषण कर रहे है। अतः अपील अपीलाण्टगण निरस्त फरमाई जावे।

उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो द्वारा किये गये कथनो पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं दस्तावेजो का अध्ययन करने उपरान्त रेस्पोडेण्ट को 2700/– रूपये प्रतिमाह अदा किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपील अनुसार अपीलाण्ट को वृद्धावस्था पेंशन एवं तहखाने मे बने दो कमरों को किराये पर देने से 4000/– रूपये प्रतिमाह आय हो रही है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सेलेरी स्लीप अनुसार रेस्पोडेण्ट की ग्रोस सेलेरी 19900/– रूपये होकर नेट सेलेरी 17951/– रूपये है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलाण्ट वरिष्ठ नागरिक है एवं रेस्पाडेण्ट का दायित्व है कि वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्रुषा करे एवं उनकी देखभाल करे। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की आय के दृष्टिगत भरण पोषण की राशि में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 में अपीलाण्ट के भरण पोषण हेतु राशि 2700/– रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 3500/– रूपये प्रतिमाह अदा करने के आदेश पारित किये जाते है। शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप नही किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि 3500/– रूपये प्रतिमाह की राशि अपीलाण्टगण को प्रतिमाह रेस्पोडेंटगण से अदा किये जाने की सुनिश्चितता करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर